

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2018/22

दिनांक: 11/11/18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान

विषय:—जिले में निजी चिकित्सालयों की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

संदर्भ:—माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सडक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निजी और सरकारी अस्पतालों में 48 घण्टें की निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रियान्वन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सडक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निजी और सरकारी अस्पतालों में 48 घण्टे की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रियान्वन के संबंध में आपके जिले में संचालित निजी चिकित्सालय जिनके यहां पर घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु मुलभूत सुविधाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र में भरकर तीन दिवस में सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल पर (addtiha@gmail.com) भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:—प्रपत्र (सॉफ्ट कॉपी)

अति० निदेशक (चि.प्र.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2018/22

दिनांक: 11/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराना सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (चि.प्र.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

